Gram: University
E-mail:csjmu@kanpuruniversity.org, registrarcsjmuknp@gmail.com
☎🖷: 0512-2580044

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर–208024
Kalyanpur, Kanpur-208024

पत्रांक–सी.एस.जे.एम.वि.वि. / ई.डी.पी. / 617 / 2019 दिनांक:26/12/2019

आवश्यक सूचना

विश्वविद्यालय परिसर के समस्त विभागाध्यक्षों/अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या/शोध पर्यवेक्षकों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश-2014(9.06) के आलोक में समस्त शोधार्थियों को अपना शोध-प्रबंध 4 अकादमिक वर्ष में जमा करना है तथा प्रत्येक 6 माह पर अपने शोध से सम्बन्धित प्रगति आख्या पर्यवेक्षक के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है, जिससे शोध पंजीकरण की निरन्तरता सुनिश्चित हो सके । ऐसे शोधार्थी जो अपना शोध-प्रबंध 4 अकादमिक वर्ष मे जमा नहीं करेंगें उनका शोध पंजीकरण संस्थागत छात्र के रुप में स्वतः निरस्त हो जायेगा । अन्यथा उक्त अध्यादेश के आलोक में अधिकतम 2 अकादमिक वर्ष के समय विस्तरण का प्रावधान है जिसके लिये शोधार्थी को 4 अकादमिक अवधि पूर्ण होने से पूर्व अपेक्षित समय विस्तरण सम्बन्धित विषय के शोध पर्यवेक्षक, विभागाध्यक्ष/ संयोजक तथा अधिष्ठाता की संस्तुति के साथ प्रस्तुत आवेदन पत्र पर मा. कुलपति जी के आदेश के उपरांत प्रदान किया जायेगा ।

अतः उपरोक्त अध्यादेश में वर्णित प्रावधानों का कडाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें ।

डा0 (विनोद कुमार सिंह)
कुल सचिव

प्रतिलिपि :-

1. सम्पादक .... कानपुर को इस अनुरोध के साथ, कि अपने सम्मानित समाचार पत्र में जनहित में इस सूचना को निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें ।
2. समस्त निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त से सम्बन्धित समस्त शोध पर्यवेक्षक/शोध छात्र/शिक्षकों को अवगत कराने का कष्ट करें ।
3. समस्त सम्बद्व/अनुदानित महाविद्यालय सम्बद्व छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त से सम्बन्धित समस्त शोध पर्यवेक्षक/शोध छात्र/शिक्षकों को अवगत कराने का कष्ट करें ।
4. निजी सचिव, कुलपति माननीया कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।
5. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि सूचना को विश्वविद्यालयँ की बेबसाइट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

डा0 (विनोद कुमार सिंह)
कुल सचिव